

1	विभाग	हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग
2	योजना का नाम	हथकरघा बुनकरों को विद्युत बिलो में छूट
3	योजना संक्षिप्त टिप्पणी-	हथकरघा बुनकरों को विद्युत दर में छूट की प्रतिपूर्ति दिये जाने का प्राविधान किया गया है। योजना के लाभ हेतु लाभार्थी की आयु कम से कम 18 वर्ष हो हथकरघा बुनकर व्यवसाय से जुड़ा हुआ हो, बुनकर के पास भारत सरकार/हथकरघा विभाग के सक्षम प्राधिकारी द्वारा बुनकर प्रमाण-पत्र होना चाहिये। विद्युत विभाग में स्वयं के नाम से दो किलो वॉट तक का विद्युत भार का विद्युत कनेक्शन होना चाहिये, ऐसे बुनकरों को उनके विद्युत बिलो में वित्तीय वर्ष हेतु 3936.00 छूट प्रदान किये जाने का प्राविधान है।
4	पात्रता की अर्हता-	आयु कम से कम 18 वर्ष हो हथकरघा बुनकर व्यवसाय से जुड़ा हुआ हो, बुनकर के पास भारत सरकार अथवा राज्य सरकार के हथकरघा विभाग के सक्षम प्राधिकारी द्वारा बुनकर प्रमाण-पत्र होना चाहिये।
5	आवेदन की प्रक्रिया-	वांछित अभिलेखों सहित कार्यालय में आवेदन
6.	लिंक वेबसाईट	http://www.etanabanaup.in/
7.	सम्पर्क सूत्र	अन्य जानकारी हेतु सम्बन्धित जनपद के सहायक आयुक्त उद्योग से सम्पर्क किया जा सकता है ।